बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना–14.

विनय कुमार
भा0पु0से0
पुलिस महानिदेशक सह–अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

दूरभाष (कार्यालय) : 0612-2224529
मोबाईल नं0 : 9471006800
ई–मेल : biharpolice_nigam@yahoo.co.in

संचिका सं0–अपील–प्राधि0–16 / 2023

पटना, दिनांक–.....2023

आदेश सं0 – 431 / 2023

मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 की ओर से कंपनी के निदेशक श्री संदीप कुमार, पिता–स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–एकदंगा, थाना–बेलचछी, जिला–पटना, बिहार–803213 द्वारा दिनांक–07.08.2023 को, मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–228 / 2023, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 2202 दिनांक–22.06.2023 एवं शुद्धि पत्र ज्ञापांक–एच0क्यू0 2284 दिनांक–03.07.2023 के द्वारा उनके निबंधन को कालीकृत किये जाने हेतु पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया।

2. इस मामले से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा ई–निविदा सूचना सं0–09 / SBD / 2022–23 के माध्यम से, अन्य कार्यों के अतिरिक्त क्रम सं0–5 एवं क्रम सं0–9 से, निम्नांकित कार्यों के लिये निविदा आमंत्रित की गयी थी:–

(क) क्रम सं0–5–सारण जिलान्तर्गत बनियापुर थाना थाना भवन (मॉडल थाना) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य, एवं

(ख) क्रम सं0–9–पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत हरैया ओ0पी0 में थाना भवन (G+2), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

3. ई–निविदा की कंडिका–35 में निम्न शर्तें अंकित थी :–

"35–निविदा में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।"

4. ई–निविदा सूचना सं0–09/SBD/2022-23 में निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि–20.07.2022 से 27.07.2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की गयी थी।

5. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–09/SBD/2022-23 के क्रम सं0–5, पर अंकित योजना, सारण जिलान्तर्गत बनियापुर थाना थाना भवन (मॉडल थाना) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 06 संवेदकों के द्वारा यथा–(1) मे0 मेहेन्दिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, (2) मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0, (3) श्री अरविन्द कुमार सिंह, (4) श्री बेन्कटेश रमण, (5) मे0 गंगा इन्टरप्राईजेज एवं (6) श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा निविदा समर्पित किया गया।

6. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–09/SBD/2022-23 के क्रम सं0–9 की योजना, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत हरैया ओ0पी0 में थाना भवन (G+2), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 02 संवेदकों के द्वारा यथा–(1) मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 एवं (2) मे0 सुभद्रा इन्टरप्राईजेज के द्वारा निविदा समर्पित किया गया।

7. उक्त ई–निविदा सूचना सं0–09/SBD/2022-23 के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया, जिसमें, क्रम सं0–5 की योजना, सारण जिलान्तर्गत बनियापुर थाना थाना भवन (मॉडल थाना) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 02 निविदाकार (1) श्री बेन्कटेश रमण एवं (2) श्री अरूण कुमार सिंह का तकनीकी बीड मूल्यांकन में असफल पाया गया। शेष 04 निविदाकार यथा–(1) मे0 मेहेन्दिया कंस्ट्रक्शन प्रा0 लि0, (2) मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0, (3) श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं (4) मे0 गंगा इन्टरप्राईजेज का तकनीकी बीड मूल्यांकन में सफल पाया गया।

8. इसी तरह क्रम सं0–9 की योजना, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत हरैया ओ0पी0 में थाना भवन (G+2), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिये 02 निविदाकार (1) मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 एवं (2) मे0 सुभद्रा इन्टरप्राईजेज का तकनीकी बीड, मूल्यांकन में सफल पाया।

9ण तत्पश्चात तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोला गया, जिसमें सारण जिलान्तर्गत बनियापुर थाना थाना भवन (मॉडल थाना) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य हेतु मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 की निविदा राशि 5,24,06,379/– रू0, जो परिमाण विपत्र की राशि 11.5% कम थी, न्यूनतम (L_1) पायी गयी और उनके पक्ष में कार्यावंटन आदेश सं0–WA/C/ अधि0 1875 (we) दिनांक–10.01.2023 निर्गत किया गया।

10. इसी प्रकार क्रम सं0–9 में अंकित कार्य, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत हरैया ओ0पी0 में थाना भवन (G+2), आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य का तकनीकी बीड खोला गया, जिसमें मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 की निविदा राशि 4,57,36,898/– रू0 जो परिमाण विपत्र राशि से 7.5% कम थी, न्यूनतम (L_1) पायी गयी और उनके पक्ष में कार्यावंटन आदेश सं0–WA/C/ अधि0 2029 (we) दिनांक–14.02.2023 निर्गत किया गया।

11. मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 द्वारा निविदा की शर्त सं0–35 के अनुपालन में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate) के रूप में कार्यालय मुख्य परियोजना प्रबंधक, बी0एच0यू0 परियोजना अंचल, सेंट्रल ऑफिस के पीछे, बी0एच0यू0 वाराणसी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार का पत्रांक–23(97)/सी0पी0एम0बी0एच0यू0/2021 दिनांक–10.06.2021 समर्पित किया गया था।

12. मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 के पक्ष में कार्यावंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् श्री मुकेश कुमार (मो0 नं0–9122830054) के द्वारा मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना को संबोधित एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें श्री मुकेश कुमार ने यह आरोप लगाया कि मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 के द्वारा फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर निविदा प्राप्त किया गया है। कार्यानुभव प्रमाण पत्र (Performance Certificate), निर्गत कार्यालय यथा–मुख्य परियोजन प्रबंधक, बी0एच0यू0 परियोजना अंचल, सेंट्रल ऑफिस के पीछे, बी0एच0यू0 वाराणसी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार से निविदाकार द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र सत्यापित करने हेतु, निबंधित डाक से प्रेषित निगम के पत्र सं0–अधि0 1964 दिनांक–31.01.2023 के साथ–साथ ई–मेल से अनुरोध किया गया।

13ण निगम के उक्त अनुरोध के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं व0प्र0 (सि0)–1 बी0एच0यू0 परियोजना वाराणसी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के पत्रांक–57(1)/बी0एच0यू0परि0मं0–1/2023/60 दिनांक–24.02.2023 से सूचित किया गया कि मे0 सावित्री

सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 के पक्ष में निर्गत Performance Certificate इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।

14. निगम द्वारा मुख्य परियोजन प्रबंधक, बी0एच0यू0 परियोजना अंचल, सेंट्रल ऑफिस के पीछे, बी0एच0यू0 वाराणसी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, भारत सरकार के द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र पर अंकित ई–मेल आईडी–eevpdbhu@gmail.com पर उनके द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र को सत्यापित करने का अनुरोध ई–मेल से दिनांक–25.01.2023, समय 18:40 बजे भेजा गया। उक्त ई–मेल आईडी–eevpdbhu@gmail.com से दिनांक–31.01.2023, समय–18:25 बजे, एक ई–मेल प्राप्त हुआ, जिसमें मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 के पक्ष में निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र को सही बताया गया। उल्लेखनीय है कि कार्यपालक अभियंता एवं व0प्र0 (सि0)–1 बी0एच0यू0 परियोजना वाराणसी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के पत्रांक–57(1)/बी0एच0यू0परि0मं0–1/2023/60 दिनांक–24.02.2023 में उनका ई–मेल आईडी–vareebpd1.cpwd@gov.in अंकित है। इससे यह स्पष्ट प्रामाणित होता है कि मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 द्वारा समर्पित कार्यानुभव प्रमाण पत्र पर अंकित ई–मेल आईडी फर्जी है तथा उस मेल आईडी का प्रयोग निविदाकार द्वारा जालसाजी कर कार्यानुभव प्रमाण पत्र को गलत एवं फर्जी तरीके से प्रमाणित बताया गया है।

15. कार्यपालक अभियंता एवं व0प्र0 (सि0)–1 बी0एच0यू0 परियोजना वाराणसी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, वाराणसी के पत्रांक–57(1)/बी0एच0यू0परि0मं0–1/2023/60 दिनांक–24.02.2023 से कार्यानुभव प्रमाण पत्र फर्जी होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 से निगम के पत्रांक–SE-61 दिनांक–20.03.2023 से 5 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया, किन्तु न तो कंपनी न ही उनके किसी निदेशक के द्वारा कोई स्पष्टीकरण निगम में समर्पित किया गया।

16. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 एवं कंपनी के निदेशक श्री संदीप कुमार, पिता–स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–एकदंगा, थाना–बेलचछी, जिला– पटना, बिहार–803213 एवं निदेशक श्रीमती रेशम सिंह, पति–संदीप कुमार, पता–डी 402, वामीका इनक्लेव, मुरलीचक, मजार के पास, जगदेव पथ, फुलवारी, पटना, बिहार–800014 के द्वारा जाली अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के साथ छल एवं जालसाजी कर निविदा/कार्यादेश, प्राप्त करने के लिये पटना हवाई अड्डा थाना में भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, दर्ज प्राथमिकी की संख्या–पटना हवाई अड्डा थाना कांड सं0–81/2023 दिनांक–23.04.2023 है।

17. तत्पश्चात, अपराधिक षडयंत्र के तहत जाली अनुभव प्रमाण पत्र निगम को समर्पित कर छल पूर्वक निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करने हेतु बिहार निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) 7 के प्रावधानों के तहत मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के कार्यालय आदेश सं0–228/2023, सहपठित ज्ञापांक–एच0क्यू0 2202 दिनांक–22.06.2023 से मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 के निबंधन सं0–प्रथम 40/2022–23 (कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को कालीसूची में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

18. पुनः मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के हस्ताक्षर से निर्गत शुद्धि पत्र ज्ञापांक–एच0क्यू0 2284 दिनांक–03.07.2023 के द्वारा मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 के निबंधन सं0–प्रथम 40/2022–23 (कंपनी) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को

निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 27.07.2022 से 05 वर्षों के लिये कालीकृत किये जाने का आदेश निर्गत किया गया।

19. अपीलकर्त्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में कहा गया है कि

(i) मेरे द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के क्रम में अपना पक्ष रखा था, परन्तु उसपर बिना विचार किये ही प्रासंगिक पत्र द्वारा कालीकृत किये जाने संबंधी पत्र निर्गत किया गया है, जिसके कंडिका–17 में यह कहा गया है कि–"कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने के लिए पत्र प्राप्त से 07 दिन का समय दिया गया। जिसके आलोक में संवेदक द्वारा पत्रांक–08/23 दिनांक 09.06.2023 को कारण बताओं नोटिस का जबाव समर्पित किया गया। जिसके उनके द्वारा कहा गया है कि मैं संदीप कुमार मे० सावित्री सुरेन्द्र सेक्यूरिटी प्रा० लि० पता–डी0–402 वामिका एन्क्लेव मुरलीक मजार के नजदीक जगदेव पथ फुलवारी जिला–पटना बिहार 800014 का निदेशक हूँ एवं मेरी कंपनी के द्वारा विषयांकित कार्यों में भाग लिया गया था। यह निविदा मेरी कंपनी के द्वारा अन्य सेवा प्रदाता के सहयोग से डाला गया जिन्होंने भूलवश किसी अन्य फर्म का परफोरमेंस सर्टिफिकेट उक्त निविदा में संलग्न कर दिया गया और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिए खेद है और आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी। इससे स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा खंडन प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु इसे स्वीकार किया गया है।

(ii) "चूंकि संबंधित मामले में आपराधिक वाद दायर किया जा चुका है, जो अभी अनुसंधानरत है, तो ऐसी स्थिति में उसी प्राथमिकी को आधार बनाकर जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं होगा'' सही नहीं है। किसी फर्म या व्यक्ति के द्वारा किया गया आपराधिक कृत के संबंध में आपराधिक कार्रवाई तथा जालसाजी या छलपूर्वक तथा गलत ढंग से लाभ प्राप्त करने के प्रयास के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई अलग–अलग प्रावधानों के तहत अलग–अलग कार्रवाई करने का प्रावधान है। फर्म द्वारा आपराधिक कार्य किया गया हैं इसीलिए बिहार निबंधन नियमावली 2007 के तहत कार्रवाई नहीं करने का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है।"

(iii) "बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का यह आदेश वैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा सवयं अपने पारित आदेश में कहा जा रहा है कि फर्म द्वारा आपराधिक कार्य किया गया है एवं संबंधित मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कर दी गयी है, तो उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार निबंध नियमावली, 2007 के तहत कार्रवाई करने का कोई वैधानिक आधार नहीं बनता है, क्योंकि प्रासंगिक पत्र में आपराधिक षड़यंत्र की संज्ञा दी गयी है।

(iv) इस संबंध में यह भी कहना है कि क्योंकि संबंधित मामले के मामला अभी अनुसंधानरत है, जब तक छलपूर्वक निविदा प्राप्त करने के क्रम में अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता है, तब तक यह कहा जाना कि मेरे द्वारा गलत ढेग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया, अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है।

(v) इस संबंध में यह भी कहना है कि मेरे फर्म के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी हैएवं विभागीय कार्रवाई यथा कालीकृत करने की कार्रवाई भी की गयी है, जबकि प्राथमिकी एवं कालीकृत किये जाने का साक्ष्य वही है।"

इस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा माननीय सार्वोच्च न्यायालय द्वारा Capt. M. Paul Anthony Vs. Bharat Gold Mines Ltd. & Anr. में पारित आदेश की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसमें यह अंकित है कि–" If the departmental proceedings and the criminal case are based on identical and similar set of facts and the charge in the criminal case against the delinquent employee is of a grave nature which involves complicated questions of law and fact, it would be desirable to stay the departmental proceedings till the conclusion of the criminal case."

अपीलकर्ता द्वारा उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुये जब तक अंतिम रूप से दर्ज प्राथमिकी का फलाफल नहीं आ जाता है, तब तक प्रासंगिक आदेश को स्थगित करने का अनुरोध किया गया है।

20. दिनांक–04.09.2023 को सुनवाई हेतु अपीलकर्ता उपस्थित हुये। सुनवाई में उनके द्वारा जवाब दायर करने हेतु 03 सप्ताह के समय की मांग की गयी। अपीलकर्ता के अनुरोध पर इस वाद में सुनवाई की अगली तिथि 20.09.2023 निर्धारित की गयी।

21. अगली तिथि 20.09.2023 से पूर्व दिनांक–16.09.2023 को अपीलकर्ता द्वारा अपने पत्र Ref: 21/2023-24 दिनांक–15.09.2023 से जवाब समर्पित किया गया, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त उल्लेख किया गया कि "मुझे जब कार्य आबंटित हो गया तब मुकेश कुमार एवं धीरज कुमार के द्वारा अवांछित पैसे का माँग किया जाने लगा। 04 जनवरी 2023 को मेरे मोबाईल संख्या 9661682961 पर मुकेश कुमार के द्वारा उपरोक्त लिखित नम्बर से फोन करके कहा गया कि आप 3 (तीन) लाख रूपया दिजिए नहीं तो हम आपके कागजात में एक जाली अनुभव प्रमाण पत्र लगाये है, उसका कम्प्लेन करके आपको फँसा देंगे। मेरे द्वारा मांगी गई रकम देने से साफ मना कर दिया गया। जबकि मुझे उस जाली अनुभव प्रमाण–पत्र के बारे कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उसपर मेरे द्वारा हस्ताक्षर भी नहीं किया गया था। इसी बीच मुकेश कुमार के द्वारा सादे कागज पर अपना नाम और मोबाईल संख्या सिर्फ लिखकर बिना तारीख का मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में हमारे विरूद्ध सोची–समझी साजिश के तहत उसी फर्जी CPWD वाले कागजात का संदर्भ लेकर शिकायती पत्र दिया गया।"

22. अपीलकर्ता द्वारा अपील आवेदन में ही उल्लेख किया गया है कि "मेरे द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के क्रम में अपना पक्ष रखा था, परन्तु उसपर बिना विचार किये ही प्रासंगिक पत्र द्वारा कालीकृत किये जाने संबंधी पत्र निर्गत किया गया है, जिसके कंडिका–17 में यह कहा गया है कि–"कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने के लिए पत्र प्राप्त से 07 दिन का समय दिया गया। जिसके आलोक में संवेदक द्वारा पत्रांक–08/23 दिनांक 09.06.2023 को कारण बताओं नोटिस का जबाव समर्पित किया गया। जिसके उनके द्वारा कहा गया है कि मैं संदीप कुमार मे० सावित्री सुरेन्द्र सेक्यूरिटी प्रा० लि० पता–डी0–402 वामिका एन्क्लेव मुरलीक मजार के नजदीक जगदेव पथ फुलवारी जिला–पटना बिहार 800014 का निदेशक हूँ एवं मेरी कंपनी के द्वारा विषयांकित कार्यों में भाग लिया गया था। यह निविदा मेरी कंपनी के द्वारा अन्य सेवा प्रदाता के सहयोग से डाला गया जिन्होंने भूलवश किसी अन्य फर्म का परफोरमेंस सर्टिफिकेट उक्त निविदा में संलग्न कर दिया गया और मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिए खेद है और आश्वस्त करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी।" इस तरह उनके द्वारा निविदा के साथ जाली Performance Certificate दाखिल किया जाना स्वीकार किया जा रहा है।

उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि उनका जाली अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर निविदा में अपलोड किया गया है। यहाँ यह विश्वास करने का कोई आधार नहीं है कि वर्णित

निविदा में इनके (श्री संदीप कुमार की) सहमति के विना जाली कागज वनाकर निविदा में अपलोड किया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी भी निविदा में कागजात अपलोड करने हेतु पी०के०आई० की आवश्यकता होती है, जिसके उपयोग के लिये संवेदक जवावदेह होते है। अतः निविदा में जाली अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने के आरोप से वह वच नहीं सकते हैं।

इस संबंध में अपीलकर्त्ता का आवेदन दिनांक–15.09.2023 वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को ज्ञापांक–एच0क्यू0 3450 दिनांक–20.09.2023 के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है।

23. अपीलकर्त्ता द्वारा अपने अपील आवेदन में आगे कहा गया है कि चूंकि संवंधित मामले में आपराधिक वाद दायर किया जा चुका है, जो अभी अनुसंधानरत है, तो ऐसी स्थिति में उसी प्राथमिकी को आधार बनाकर जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता है, तव तक विहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्रवाई किया जाना न्याय संगत नहीं होगा। यह सही नहीं है।

24. अपीलकर्त्ता द्वारा आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया गया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा–467, 468, 471, 420, 120बी एवं 511 के तहत अपराध के रूप में परिभाषित है।

25. अपीलकर्त्ता के निबंधन को आपराधिक षडयंत्र एवं जालसाजी कर, जाली अनुभव प्रमाण पत्र तैयार कर एवं उक्त जाली अनुभव प्रमाण पत्र समर्पित कर, छल पूर्वक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य आवंटित कराने तथा गलत ढ़ंग से लाभ प्राप्त करने का प्रयास के लिये कालीकृत किया गया है। इस संबंध में सुनवाई के दौरान अपीलकर्त्ता के द्वारा कोई सफाई नहीं दी गयी और न ही इन तथ्यों से इन्कार किया गया।

26. अपीलकर्त्ता का कहना कि उनके फर्म के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है एवं विभागीय कार्रवाई यथा–कालीकृत करने की कार्रवाई भी की गयी है, जबकि प्राथमिकी एवं कालीकृत किये जाने का साक्ष्य वही है, यह मान्य नहीं है।

जाली कागजात बनाना तथा धोखाधरी करना आपराधिक कार्य के रूप में भारतीय दण्ड विधान में परिभाषित है। निबंधन को काली सूची में दर्ज करना या निविदाकार को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने से वंचित किया जाना एक प्रशासनिक कार्रवाई है। आपराधिक कार्रवाई तथा प्रशासनिक कार्रवाई समानांतर रूप से संचालित की जा सकती है। ऐसा करना Double Jeopardy के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं माना जायेगा। आपराधिक कार्रवाई में किसी भी आरोप को संदेह से परे (Beyond Reasonable Doubt) स्थिति के अनुरूप प्रमाणित करना पड़ता है। प्रशासनिक कार्रवाई में आरोप को संभावनाओं की बहुलता (Preponderance of Probability) के अनुरूप प्रमाणित किया जाता है। अतः काण्ड दर्ज होने की आपराधिक कार्रवाई तथा निबंधन के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई एक साथ की जा सकती है।

27. मुख्य अभियंता के पत्र सं0–एच0क्यू0 2284 दिनांक–03.07.2023 के द्वारा मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 के निबंधन सं0–प्रथम 40/2022–23 (कंपनी) को बिहार निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क)7 के प्रावधानों के तहत बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में संदर्भित निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि 27.07.2022 से 05 वर्षों के लिये कालीकृत किया गया है।

28. अपीलकर्ता द्वारा चूंकि निगम में निविदा की प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सहयोग किया गया है। इनकी सूचनायें तथा इनके आवेदन में वर्णित तथ्यों के आधार पर Cyber Cafe के द्वारा व्यापक पैमाने पर जाली कागजात तैयार कर निविदा अपलोड करने की कुप्रथा एवं इसमें निहित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया गया है।

अतः SBD के Section 1: Instruction to Bidders (ITB) के तहत मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् दिनांक–31.03.2024 तक निविदा में भाग लेने से वंचित करने का आदेश दिया जाता है। निबंधन पदाधिकारी का आदेश तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

अपील अस्वीकृत किया जाता है।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2023

प्रतिलिपिः– मे0 सावित्री सुरेन्द्र सिक्युरिटी प्रा0 लि0 के निदेशक श्री संदीप कुमार, पिता–स्व0 सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0–एकदंगा, थाना–बेलचछी, जिला– पटना, बिहार– 803213 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ..... ./ पटना, दिनांक – 2023

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण, पटना/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदशेक, बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएं अधारभूत संरचना निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य कार्यपालक अभियंता, बिहार ग्रामीण कार्य विकास अधिकरण, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

ज्ञापांक ....1104382...... ./ पटना, दिनांक – ....29/11....2023

प्रतिलिपिः– श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29/11/23

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक–सह–अपीलीय प्राधिकार,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम